राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13827/2024

मेघल अग्रवाल पुत्री ज्ञान चंद जैन, उम्र लगभग 17 वर्ष 11 माह और 20 दिन, निवासी जैन अस्पताल एवं एफआरसी बाली रोड, फालना, पाली राजस्थान, वर्तमान में 37, मिलाप नगर, टोंक रोड, जयपुर की निवासी (नाबालिग प्राकृतिक संरक्षक रेणु गुप्ता पत्नी ज्ञान चंद जैन उम्र 47 वर्ष, निवासी जैन अस्पताल एवं एफआरसी बाली रोड, फालना, पाली राजस्थान, वर्तमान में 37, मिलाप नगर, टोंक रोड, जयपुर की निवासी)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नंबर 348, ए विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), पॉकेट-14, सेक्टर 8, द्वारका फेज-1, नई दिल्ली 110077, इसके अध्यक्ष के माध्यम से।
3. राजस्थान मेडिकल काउंसिल, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर राजस्थान अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से।
4. राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जनपथ, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
5. अध्यक्ष, एनईईटी यूजी मेडिकल और डेंटल एडमिशन / काउंसलिंग बोर्ड 2024 और प्रिंसिपल और नियंत्रक, अध्यक्ष एनईईटी (यूजी) मेडिकल और डेंटल एडमिशन के अधिकारी, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज (आरयूएचएस) कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, सुभाष नगर टीबी अस्पताल के पीछे, जयपुर, राजस्थान।
6. वरिष्ठ निदेशक, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी) 2022 उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, सी-20, आईए/8, सेक्टर-62, आईआईटीके आउटरीच सेंटर, नोएडा 201309 के माध्यम से।
7. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री अरविंद शर्मा
उत्तरदाता(ओं) के लिए	:	श्री विज्ञान शाह, एएजी साथ में श्री यश जोशी श्री एम.एस. राघव

माननीय श्री. जस्टिस समीर जैन

निर्णय

रिपोर्टेबल

07/10/2024

(29/05/2025 को 02:37:49 बजे डाउनलोड किया गया)

1. "गलती करना मानवीय है; क्षमा करना ईश्वरीय है," अलेक्जेंडर पोप ने "एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म" में लिखा है। यह काव्य साहित्य की आलोचना के संदर्भ में कहा गया है; यह दूसरों की कृतियों के प्रति आलोचकों के दृष्टिकोण के बारे में अधिक है। क्या इस विचार को कानूनी मामलों में उपचारात्मक उपाय के सिद्धांत के रूप में लागू करना संभव है? विशेष रूप से, क्या यह विचार किसी चयन समिति को, जो प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित करती है, उम्मीदवारों को उनके आवेदन पत्रों में बाद में विवरणों/प्रमाणपत्रों से संबंधित गलतियों को सुधारने की अनुमति देने के लिए प्रेरित कर सकता है – जहाँ योग्यता के आधार पर उम्मीदवार अनंतिम रूप से पात्र हो?

2. यह याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:

> *"(i)* किसी उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा प्रतिवादी को शैक्षणिक सत्र *2024* के लिए नीट *(*यूजी*) 2024* के आवेदन में याचिकाकर्ता का नाम मेघल जैन के स्थान पर मेघल अग्रवाल करने की अनुमति देने का निर्देश दिया जा सकता है।
>
> *(ii)* किसी उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा प्रतिवादी को शैक्षणिक सत्र *2024* के लिए नीट *(*यूजी*) 2024* की काउंसलिंग में याचिकाकर्ता को भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया जा सकता है।
>
> *(iii)* किसी उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा प्रतिवादी को निर्देश दिया जाए कि वह मेघल अग्रवाल के स्थान पर मेघल जैन के रूप में नाम परिवर्तन के कारण उसके आवेदन पत्र संख्या *240411472212* को अस्वीकार न करे।
>
> *(iv)* कोई अन्य आदेश, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित और उचित समझे, याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जा सकता है।
>
> *(v)* रिट याचिका की लागत कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रदान की जाए।"

3. इस मामले का सार यह है कि याचिकाकर्ता 'मेघल अग्रवाल' पुत्री ज्ञान चंद जैन ने वर्ष 2023 में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी यूजी)और उसके बाद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)में मेघल अग्रवाल नाम से परीक्षा दी थी। इसके अलावा, आधार कार्ड, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की मार्कशीट, पासपोर्ट कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आदि (अनुलग्नक-1) जैसे दस्तावेजों में भी याचिकाकर्ता का नाम 'मेघल अग्रवाल' दर्ज है।

4. इसके बाद, प्रतिवादियों ने नीट यूजी परीक्षा, 2024 के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें 09.02.2024 और 09.03.2024 (अनुलग्नक-2) के बीच आवेदन आमंत्रित किए गए। इसके लिए परीक्षा 05.05.2024 को निर्धारित की गई थी। यह निर्विवाद तथ्य है कि आवेदन पत्र के साथ कुछ दिशानिर्देश (सूचना पुस्तिका) और पात्रता शर्तें भी जारी की गई थीं।

(29/05/2025 को 02:37:49 बजे डाउनलोड किया गया)

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ

5. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वकील ने दलील दी कि एक अनजाने और वास्तविक गलती के कारण, कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण, याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र में उसके उपनाम के संबंध में त्रुटि हो गई। विशेष रूप से, 'मेघल अग्रवाल' के बजाय याचिकाकर्ता का उपनाम 'मेघल जैन' दिखाई दिया।

6. यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने उक्त परीक्षा 05.05.2024 को दी थी, लेकिन अनुभवहीन होने के कारण वह प्रमाण-पत्रों में हुए बदलाव को नोटिस नहीं कर सका। फिर भी, याचिकाकर्ता के पहचान-पत्र की जाँच करते समय परीक्षा आयोजित करने वाले अधिकारियों को उक्त गलती का पता ही नहीं चला।

7. परिणामस्वरूप, उक्त परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए और याचिकाकर्ता ने 418 अंक प्राप्त किए, और उसे काउंसलिंग में बैठने के योग्य घोषित किया गया। आगे यह भी तर्क दिया गया कि प्रतिवादियों द्वारा जारी किए गए स्कोर-कार्ड में भी याचिकाकर्ता का नाम 'मेघल जैन' दर्शाया गया था, और इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता (अभिभावकों के माध्यम से) ने प्रतिवादियों के समक्ष दिनांक 08.08.2024 को अपनी माँ के एक हलफनामे के साथ एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था (अनुलग्नक-6)। हालाँकि, उक्त अभ्यावेदन पर कोई ध्यान न देते हुए, प्रतिवादियों ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि नीट यूजी परीक्षा, 2024 के लिए काउंसलिंग 14.08.2024 को आयोजित की जाएगी (अनुलग्नक-7)।

8. वर्तमान याचिका की अवधि के दौरान, यद्यपि नोटिस जारी किए गए थे, याचिकाकर्ता को प्रवेश देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया गया था कि "नीट यूजी काउंसलिंग के बोर्ड सदस्य और डॉ. राघव (सहायक नोडल अधिकारी, शैक्षणिक अनुभाग आरएचटीएमसी, उदयपुर) के निर्देशानुसार प्रवेश देने से इनकार किया गया है", तत्पश्चात 05.09.2024 को याचिकाकर्ता के पक्ष में एक अंतरिम आदेश लागू किया गया (उक्त श्रेणी के तहत एक सीट आरक्षित की जा रही है, जो वर्तमान मामले के अंतिम परिणाम के अधीन है), और आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर को एनआरआई श्रेणी के तहत एक सीट आरक्षित करने का निर्देश दिया गया।

9. प्रस्तुत तर्कों के समर्थन में **वशिष्ठ नारायण कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2024) 1 एससीआर 1** में प्रतिवेदित तथा **मनश्वी पचार बनाम भारत संघ एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11060/2024** में प्रतिपादित उक्ति पर भरोसा किया गया है, और यह तर्क दिया गया है कि उम्मीदवारों के

(29/05/2025 को 02:37:49 बजे डाउनलोड किया गया)

नाम के विवरण/प्रमाणपत्र सर्वर द्वारा स्वत भर दिए गए थे, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा उन्हें सुधारा नहीं जा सका।

प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

10. विद्वान एएजी श्री शाह ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया था कि याचिकाकर्ता के लिए एक सीट आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में आरक्षित है, हालांकि, उन्होंने अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया था कि इस मामले में प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 6- एनटीए होगा।

11. शुरुआत में, प्रतिवादी एनटीए का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने तर्क दिया था कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (जिसे शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया है) भारत सरकार द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1980 के तहत स्थापित एक स्वायत्त स्व-निर्भर निकाय है, जिसका उद्देश्य प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने हेतु कुशल, पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के परीक्षण आयोजित करना है। यह भी तर्क दिया गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्वीकृति से, एनटीए द्वारा 05.05.2024 को एनईईटी यूजी परीक्षा, 2024 का आयोजन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 1997 के नियम 57 और राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2019 की धारा 61(2) के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया था।

12. इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की उक्त परीक्षा के संबंध में सीमित ज़िम्मेदारी थी, अर्थात प्रवेश परीक्षा आयोजित करना, परिणाम घोषित करना और उसके बाद संबंधित विभाग को अखिल भारतीय रैंक (एआईआर) प्रदान करना। यह भी तर्क दिया गया कि जैसे ही उपरोक्त प्रक्रिया पूरी हुई, उक्त डेटा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया गया। फिर भी, नीट यूजी परीक्षा, 2024 के परिणाम और एआईआर, एनएमसी/डीजीएचएस/एनसीएच/सीसीएच द्वारा निर्धारित मानदंडों का कड़ाई से पालन करते हुए प्रतिवादी-एनटीए द्वारा तैयार/अधिसूचित किए गए थे।

13. इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने नीट यूजी परीक्षा, 2024 की सूचना पुस्तिका में दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जानबूझकर अपना नाम क्रेडेंशियल "मेघल जैन" पुत्री श्री ज्ञान चंद जैन के रूप में भरा और तदनुसार उसका एडमिट कार्ड उक्त नाम से जारी किया गया। तब यह कहा गया कि उम्मीदवारों के विवरण/क्रेडेंशियल की प्रविष्टि स्वतः उत्पन्न हुई थी और प्रतिवादी-एनटीए की इसमें कोई भूमिका नहीं है। इस मोड़ पर, विद्वान

(29/05/2025 को 02:37:49 बजे डाउनलोड किया गया)

वकील ने उक्त सूचना पुस्तिका (अनुलग्नक 2) के खंड-6 (नोट) और खंड 11 पर भरोसा रखा और प्रस्तुत किया कि उक्त परीक्षा से पहले यह स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भी तरह से, परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद एनटीए उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई किसी भी जानकारी को संपादित/परिवर्तित/संशोधित नहीं करेगा। सुविधा के लिए उक्त सूचना पुस्तिका से संबंधित भरोसेमंद प्रावधानों को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *6.* ऑनलाइन आवेदन **पत्र भरने के निर्देश:**
>
> ……
>
> ***/नोट:*** उम्मीदवार को केवल अपना स्वयं का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएँ और दाएँ हाथ की उँगलियों और अंगूठे के निशान, और ऊपर बताए गए प्रमाण पत्र *(*किसी और के नहीं*)* सही/उचित तरीके से अपलोड करने हैं, क्योंकि भविष्य में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। यदि भविष्य में किसी भी समय यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने अपने आवेदन पत्र/प्रवेश पत्र में किसी और का फोटोग्राफ, बाएँ और दाएँ हाथ की उँगलियों और अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र का उपयोग/अपलोड किया है, या उसने अपने प्रवेश पत्र/परिणाम/स्कोरकार्ड में छेड़छाड़ की है, तो उम्मीदवार के इन कृत्यों को अनुचित साधन *(*यूएफएम*)* प्रथाओं के अंतर्गत माना जाएगा और अनुचित साधन प्रथाओं से संबंधित सूचना बुलेटिन के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
>
> *11.* एनटीए किसी भी परिस्थिति में आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई किसी भी जानकारी को संपादित/संशोधित/परिवर्तित नहीं करता है। जानकारी में परिवर्तन का कोई भी अनुरोध इसके बाद किसी भी प्रकार की कोई भी गलती स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में सही विवरण भरने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतें।

14. इसी तरह, याचिकाकर्ता 13.03.2024 और 10.04.2024 (अनुलग्नक-आर/6/1 और आर/6/2) के सार्वजनिक नोटिस के अनुसरण में उपाय का लाभ उठाने में भी विफल रहा, जो एनईईटी यूजी परीक्षा, 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के विवरण में सुधार से संबंधित है। इसके अलावा, विद्वान वकील ने कहा था कि यदि इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता उम्मीदवारों को उनके विवरण/प्रमाणपत्रों में सुधार के लिए प्रदान किए गए उपाय का लाभ उठाने में विफल रहा है, इस विलंबित चरण में एक अवसर प्रदान किया जाता है, तो उक्त कार्रवाई एक मिसाल के रूप में कार्य करेगी और विभिन्न प्रवेश/सार्वजनिक परीक्षाओं में एक ही मुद्दे पर अंतहीन मुकदमेबाजी के लिए भानुमती का पिटारा खोल देगी, हालांकि, संबंधित विभाग की नीति पर विचार करते हुए शैक्षणिक निकायों द्वारा लिए गए निर्णयों में न्यायिक समीक्षा नहीं की जानी चाहिए। अंत में, प्रतिवादी-एनटीए का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान याचिका विलंबित चरण में दायर की गई है, क्योंकि काउंसलिंग चल रही है और एनटीए ने पात्र उम्मीदवारों की सूची पहले ही डीजीएचएस को सौंप दी है।

<u>अवलोकन</u>

(29/05/2025 को 02:37:49 बजे डाउनलोड किया गया)

15. अभिलेखों का गहनता से अवलोकन करने, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने, बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार करने तथा सभी पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस समय निम्नलिखित असंदिग्ध तथ्यों को नोट करना उचित समझता है:-

15.1 यह याचिका नाबालिग याचिकाकर्ता द्वारा अपने प्राकृतिक अभिभावक के माध्यम से दायर की गई है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता एक मेधावी छात्र है, जो एनईईटी यूजी परीक्षा, 2024 में उपस्थित हुआ था; जिसने एक वास्तविक त्रुटि और अनजाने में हुई गलती और तकनीकी गड़बड़ी के कारण अपने उपनाम, क्रेडेंशियल/विवरण गलत भर दिए थे।

15.2 याचिकाकर्ता के सार्वजनिक दस्तावेज़ (पहचान प्रमाण) अर्थात आधार कार्ड, सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट, पासपोर्ट कार्ड, सीयूईटी यूजी परीक्षा, 2023 आवेदन पत्र (प्रतिवादी-एनटीए द्वारा भी जारी), निवास प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-1) में उसका नाम **"मेघल अग्रवाल"** पुत्री श्री ज्ञान चंद जैन और श्रीमती रेणु गुप्ता के रूप में दर्शाया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि विचाराधीन सूची केवल याचिकाकर्ता के उपनाम से संबंधित है, न कि उसके प्रथम नाम - "मेघल" से।

15.3 अभिलेखों के अवलोकन से यह पाया गया कि याचिकाकर्ता के माता-पिता के उपनाम भी अलग-अलग पहचाने जा सकते हैं।

15.4 कि किसी भी बात के होते हुए भी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 74(1), 75, 78 और 80 (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74, 76, 79 और 81 के तत्कालीन प्रावधान) के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार यह कानून की स्थापित स्थिति है कि न्यायालय प्रत्येक सार्वजनिक दस्तावेज की वास्तविकता को मान लेगा।

15.5 याचिकाकर्ता ने संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष याचिकाकर्ता के उपनाम (उसकी वरिष्ठ माध्यमिक और माध्यमिक बोर्ड की मार्कशीट के साथ विधिवत संलग्न) के विवरण/प्रमाणपत्र में सुधार के लिए दिनांक 08.08.2024 (अनुलग्नक-6) को एक अभ्यावेदन दायर किया है।

निर्णय

16. अत, वर्तमान मामले के उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए, तथा बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन करते हुए, यह न्यायालय निम्नलिखित कारणों से वर्तमान याचिका को स्वीकार करना उचित समझता है:

(29/05/2025 को 02:37:49 बजे डाउनलोड किया गया)

16.1 इस मामले के तथ्यात्मक पहलू पर विचार करते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 05.05.2024 को नीट यूजी परीक्षा, 2024 में अपने प्रवेश पत्र (प्रतिवादी- एनटीए द्वारा जारी) और अपने मूल पहचान पत्र (कोई भी सार्वजनिक दस्तावेज़) में अलग-अलग विवरण/प्रमाणपत्रों के साथ भाग लिया था, क्योंकि प्रवेश पत्र में याचिकाकर्ता का उपनाम "मेघल जैन" और याचिकाकर्ता के पहचान प्रमाण में उसका उपनाम "मेघल अग्रवाल" अंकित है। यद्यपि परीक्षा की तिथि पर उक्त तथ्य स्पष्ट था, परीक्षक द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई और याचिकाकर्ता को उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी गई।

16.2 यह माना जाता है कि कम उम्र के कारण याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 13.03.2024 और 10.04.2024 के सार्वजनिक नोटिसों के अनुसरण में कोई राहत नहीं मिल पाई, फिर भी, प्रतिवादी-एनटीए द्वारा याचिकाकर्ता के नाम की साख में उक्त परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं की गई/इसे अयोग्य घोषित नहीं किया गया। इसके अलावा, प्रतिवादियों द्वारा एक प्रवेश पत्र जारी किया गया था, और याचिकाकर्ता को प्रवेश पत्र और पहचान प्रमाणों में अलग-अलग उपनाम होने के बावजूद परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी।

16.3 याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा 'मेघल जैन' के बजाय "मेघल अग्रवाल" उपनाम की शुद्धता के संबंध में दिए गए तर्कों की पुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण (आधार कार्ड, और वरिष्ठ माध्यमिक बोर्ड की मार्कशीट- अनुलग्नक-1) रिकॉर्ड में रखे गए हैं।

16.4 इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने उक्त परीक्षा में 418 अंक प्राप्त किए, जिसके परिणामस्वरूप उसे अनंतिम रूप से आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर आवंटित किया गया है, जिसके लिए उसने काउंसलिंग के लिए अधिदेश के रूप में 5,00,000/- (केवल पांच लाख रुपये) की राशि (चेक के माध्यम से) पहले ही जमा कर दी है (अध्यक्ष एनईईटी यूजी काउंसलिंग, 2024 के नाम पर)।

16.5 उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, यह न्यायालय वशिष्ठ नारायण कुमार (सुप्रा) में समाहित अनुपात पर भरोसा करना उचित समझता है। इसे आगे स्पष्ट करते हुए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, यह नहीं कहा जा सकता है कि त्रुटि इतनी गंभीर थी कि गलत या भ्रामक जानकारी बन जाए; तुच्छ त्रुटियों या चूक के लिए एक अपवाद है क्योंकि कानून तुच्छ बातों से संबंधित होता है। इस सिद्धांत को डे मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स के रूप में भी मान्यता प्राप्त है जिसका अर्थ है कि कानून तुच्छ बातों से संबंधित नहीं होता है। यह एक कानूनी सिद्धांत है जो कहता है कि कानून मामूली या महत्वहीन मामलों पर ध्यान नहीं देता है, और इसलिए उसे न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही,

(29/05/2025 को 02:37:49 बजे डाउनलोड किया गया)

याचिकाकर्ता को उक्त त्रुटि से कोई लाभ नहीं मिला। पूर्वोक्त अनुपात से प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुन प्रस्तुत किया गया है:

> *"14.* हम राज्य के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि त्रुटि इतनी गंभीर थी कि वह गलत या भ्रामक जानकारी दे सकती थी। हम इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह कह रहे हैं। यहाँ तक कि राज्य ने भी कोई आपराधिक कार्रवाई करने का विकल्प नहीं चुना है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि उन्होंने भी इस त्रुटि को विज्ञापन के निम्नलिखित खंड का उल्लंघन नहीं माना:-
>
> > "ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए टैब में उचित उत्तर भरें। यदि उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी गलत या भ्रामक पाई जाती है, तो आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा और उम्मीदवार के विरुद्ध आवश्यक आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।"
>
> *15.* हाल ही में इस पीठ ने दिव्या बनाम भारत संघ एवं अन्य, *2023:*आईएनएससी*:900 = 2023 (13)* स्केल *730* मामले में, अधिसूचना में उल्लिखित तिथि के बाद पात्रता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को राहत देने से इनकार करते हुए एक संकीर्ण अपवाद बनाया। इस मामले में, अजय कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ एवं अन्य, *[2016]* एससीसी ऑनलाइन डेल *6563,* जो वर्तमान मामले के तथ्यों से काफी मिलता-जुलता मामला है, के फैसले का उल्लेख किया गया। अजय कुमार मिश्रा *(*सुप्रा*)* मामले में, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी *(*तत्कालीन महामहिम*)* ने दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ की ओर से बोलते हुए अनुच्छेद *9* में निम्नलिखित कहा*:-*
>
> > *9.* यह सच है कि जब भी आवेदन पत्र में कोई भौतिक विसंगति पाई जाती है और*/*या कोई छिपाव और*/*या गलत बयानी पाई जाती है, तो आवेदन प्रक्रिया पूरी होने और उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मिलने के बाद भी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। हालाँकि, चयन प्रक्रिया में भाग लेने और सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद, उसकी उम्मीदवारी केवल चूक की गंभीरता की सावधानीपूर्वक जाँच के बाद ही रद्द की जा सकती है, न कि मामूली चूक या त्रुटियों के लिए।"
>
> मामूली गलतियों या चूकों का अपवाद इसलिए है क्योंकि कानून छोटी-छोटी बातों से कोई सरोकार नहीं रखता। इस सिद्धांत को कानूनी सिद्धांत "डे मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स" में मान्यता प्राप्त है।"

16.6 इसके अतिरिक्त, **दिव्या बनाम भारत संघ और अन्य में प्रतिपादित 2023 (13) स्केल 730** मामले में दिए गए कथन पर भरोसा किया जा सकता है और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि <u>एक उम्मीदवार द्वारा चयन प्रक्रिया में सफलतापूर्वक भाग लेने और सभी चरणों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद, उसकी उम्मीदवारी केवल त्रुटि की गंभीरता की सावधानीपूर्वक जांच के बाद ही रद्द की जा सकती है, न कि केवल कुछ छोटी-मोटी बातों के कारण।</u>

16.7 इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **जिज्ञासा यादव थ्रू हर फादर बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (2021) 7 एससीसी 535** में व्यक्त की गई राय के अनुसार, <u>"नाम पहचान का एक अभिन्न अंग है"। व्यक्ति का नाम और उसकी पहचान एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, और किसी खास तरीके से</u>

(29/05/2025 को 02:37:49 बजे डाउनलोड किया गया)

पहचाना जाना व्यक्ति की पसंद या प्राथमिकता है, इसलिए यह न्यायालय इस बात पर कोई रोक नहीं लगाता कि इस मामले में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यदि सुविधा का संतुलन उम्मीदवार के पक्ष में झुकता है, तो उक्त त्रुटि के कारण उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उक्त अनुपात का प्रासंगिक अंश नीचे दोहराया गया है:

> **"*132*. यह ध्यान रखना अनुचित नहीं होगा कि यहाँ दो पक्ष - बोर्ड और छात्र - समान प्रभाव की स्थिति में नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, सुविधा का संतुलन छात्रों के पक्ष में झुकेगा। क्योंकि, अपने प्रमाणपत्रों में अशुद्धियों के कारण उन्हें बोर्ड की तुलना में अधिक नुकसान होगा, जिसकी एकमात्र चिंता प्रशासनिक बोझ बढ़ाना है। बोर्ड का अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ उठाना निस्संदेह कठिन है, लेकिन गलत प्रमाणपत्र के कारण किसी छात्र के करियर के अवसरों को खोने की प्रवृत्ति अद्वितीय है।** उदाहरण के लिए, कानून का उल्लंघन करने का आरोपी किशोर या यौन शोषण का शिकार जिसकी पहचान मीडिया या जांच निकाय की चूक के कारण खतरे में पड़ जाती है, इसके लिए पूर्ण कानूनी सुरक्षा होने के बावजूद, अपने भुला दिए जाने के अधिकार के तहत समाज में पुनर्वास के लिए नाम बदलने पर विचार कर सकती है। अगर बोर्ड ऐसी स्थिति में नाम बदलने से इनकार करता है, तो छात्रा को अतीत के जख्मों के साथ जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम सोचने पर मजबूर हैं कि यह छात्रा के मौलिक अधिकारों का गंभीर और निरंतर उल्लंघन कैसे नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में, प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास सुनिश्चित करने का घोषित जनहित, प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के बोर्ड के हित पर भारी पड़ जाएगा। वास्तव में, यह छात्र की मानवीय गरिमा के विरुद्ध होगा, जिसकी सुरक्षा सभी संबंधित पक्षों का सर्वोच्च कर्तव्य है। शैक्षिक मानकों के रखरखाव से संबंधित एक बोर्ड अपने यहां नामांकन कराने वाले छात्रों की पहचान को प्रभावित करने का अधिकार खुद पर नहीं थोप सकता। अपनी पहचान को नियंत्रित करने का अधिकार व्यक्ति के पास ही रहना चाहिए, तथा निश्चित रूप से, इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और जैसा कि आगे चर्चा की गई है।"

17. वर्तमान मामले के पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के सारांश में, यह ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में उदार और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए, नाबालिग-याचिकाकर्ता द्वारा उक्त परीक्षा में योग्य होने के लिए किए गए कठिन प्रयासों पर विचार करते हुए; विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित प्रावधानों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक अनजाने और सद्भावनापूर्ण गलती के कारण, नाबालिग-याचिकाकर्ता के अधिकारों को खतरे में नहीं डाला जा सकता है; रिकॉर्ड पर रखे गए पहचान प्रमाण (जो सार्वजनिक दस्तावेज हैं - पहचान प्रमाण यानी पासपोर्ट कार्ड, वरिष्ठ माध्यमिक मार्कशीट, आधार कार्ड) जो याचिकाकर्ता का नाम "मेघल अग्रवाल" दर्शाते हैं, और वर्तमान मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्यायालय प्रतिवादियों को यह निर्देश देना उचित समझता है कि वे योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करे बिना साख में बदलाव से प्रभावित हुए अर्थात "मेघल जैन" को

(29/05/2025 को 02:37:49 बजे डाउनलोड किया गया)

"मेघल अग्रवाल" माना जाए। अब से, नीट यूजी परीक्षा, 2024 की प्रवेश प्रक्रिया के लिए, याचिकाकर्ता का नाम 'मेघल जैन' के बजाय 'मेघल अग्रवाल' माना जाएगा।

18. उपर्युक्त शर्तों के अनुसार, इस याचिका को निम्नलिखित निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है:

18.1 याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी योग्यता/विवरण में परिवर्तन के सुधार/विचार हेतु संबंधित/उपयुक्त प्राधिकारी/प्रतिवादी-एनटीए के समक्ष अपेक्षित आवेदन प्रस्तुत करें।

18.2 उक्त चिकित्सा संस्थान में प्रवेश के दौरान, याचिकाकर्ता के उपनाम को उसकी वरिष्ठ माध्यमिक अंकतालिका और आधार कार्ड के अनुसार ही मान्य किया जाए।

18.3 उपनाम में परिवर्तन के कारण याचिकाकर्ता के अधिकारों को किसी भी प्रकार से खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए और उसकी उम्मीदवारी पर केवल उसकी योग्यता के आधार पर ही विचार किया जाना चाहिए।

19. तदनुसार, इस याचिका को उपर्युक्त निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

(सीरजैन, जे

दीपक7

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate

(29/05/2025 को 02:37:49 बजे डाउनलोड किया गया)